रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 1997/फाल्गुन 26, 1918
No. 48] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 1997/PHALGUNA 26, 1918

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1997

सं. 12019/6/96-एफपीपी-II.—आर्थिक सुधारों की चल रही प्रक्रिया के संदर्भ में नियंत्रित उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना जो 1977 से चल रही है को सरल एवं कारगर बनाने का मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। अत: यूरिया पर राजसहायता देने की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करने तथा व्यापक आधार वाली वैज्ञानिक एवं पारदर्शी पद्धति के विकल्प का सुझाव देने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति का संघटन एवं उसकी शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

समिति का संघटन

1. प्रो. सी. एच. हनुमान्था राव, पूर्व सदस्य, योजना आयोग — अध्यक्ष
2. प्रो. जी. एस. भल्ला, कृषि अर्थशास्त्री — सदस्य
3. श्री पी. बी. कृष्णास्वामी, पूर्व सचिव, उर्वरक विभाग — सदस्य
4. अध्यक्ष, ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइसेस (बीआईसीपी) (पदेन) — सदस्य
5. श्री ओ. एन. कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पी डी आई एल) — सदस्य
6. श्रीमती कान्ता आहूजा, अर्थशास्त्री, जयपुर — सदस्य
7. कार्यकारी निदेशक, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ आई सी सी) (पदेन) — सदस्य सचिव

समिति का कार्य क्षेत्र

(i) उर्वरकों के लिए आर पी एस कार्यकरण की समीक्षा करना तथा आर्थिक सुधारों के वृहद लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस तंत्र की कमियों में सुधार के लिए सुझाव देना।

(ii) उद्योग को प्रोत्साहन की पर्याप्तता अथवा इसके अन्यथा की समीक्षा करना शुद्ध मूल्य पर लाभ के औचित्य, क्षमता उपयोगिता के मानदण्ड, मूल्यह्रास आदि से संबंधित मुद्दे।

(iii) नई उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में उपयुक्त पूंजी मानदण्ड तथा ऋण साम्य अनुपात का सुझाव देना।

(iv) इनपुट मूल्य निर्धारण नीति तथा आर.पी.एस. पर इसके प्रभाव की समीक्षा करना।

(v) समीकृत भाड़ा तंत्र की समीक्षा करना तथा इसे तर्कसंगत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना जिसमें लीड्स को कम करने के लिए देशभर में संचलन को न्यूनतम करना भी शामिल है।

(vi) उर्वरक उद्योग के नियंत्रित एवं अनियंत्रित उर्वरकों के संबंध में नीतियों के समंजन में सुधार के लिए उपाय सुझाना विशेष रूप से उन नीतियों के लिए जिनसे उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित होती है तथा उर्वरक राजसहायता को उचित स्तर पर रखते हुए नियंत्रित एवं अनियंत्रित उर्वरकों के तुलनात्मक मूल्य निर्धारण से कृषि के लिए एन पी के का उचित खपत अनुपात प्राप्त हो सके।

(vii) कोई अन्य मद जिसे उपयुक्त समझा जाए।

3. समिति अपने गठन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अपने निर्णय एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

4. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यालय समिति को सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगा।

कमल कांत जैसवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th January, 1997

No. 12019/6/96-FPP-II.—The issue of streamlining, in the context of the on-going process of economic reforms, the Retention Price-cum-Subsidy Scheme for controlled fertilizers, which has been in operation since 1977, has been under the consideration of the Government of India. Accordingly, it has been decided to constitute a High Powered Fertilizers Pricing Policy Review Committee to review the existing system of subsidization of urea and suggest an alternative broad based, scientific and transparent methodology.

2. The composition and terms of reference of the Committee shall be as follows :—

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	Prof. C. H. Hanumantha Rao, Former Member, Planning Commission	Chairman
2.	Prof. G.S. Bhalla, Agri-economist	Member
3.	Sh. P. B. Krishnaswamy, Former Secretary, D/o Fertilizers	Member
4.	Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) (ex-officio)	Member
5.	Sh. O. N. Kapur, Chairman-cum-Managing Director Project and Development India Ltd. (PDIL)	Member
6.	Smt. Kanta Ahuja, Economist, Jaipur	Member
7.	Executive Director, Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) (ex-officio)	Member-Secretary

TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEE

(i) To review the working of the RPS for fertilizers and to make suggestions for correcting the deficiencies of the system keeping in view the broad objectives of economic reform.

(ii) To review the adequacy or otherwise of incentives to the industry. Issues relating to reasonableness of return on networth, norms of capacity utilization, depreciation etc.

(iii) To suggest appropriate capital norms and debt equity ratio in respect of new fertilizer projects.

(iv) To review the input pricing policy and its impact on the RPS.

(v) To review the system of equated freight and recommend measures to rationalise it, including minimisation of cross country movement to reduce leads.

(vi) To suggest measures to improve the cohesiveness of the policies in respect of the controlled and decontrolled segments of the fertilizer industry, especially the policies impinging on the availability of fertilizers and the relative pricing of controlled and decontrolled fertilizers with a view to achieving an agronomically desirable NPK consumption ratio while keeping the fertilizer subsidy at a reasonable level.

(vii) Any other item that may be considered appropriate.

3. The committee shall submit its conclusions and recommendations within a period of six months from the date of its constitution.

4. The office of FICC will provide secretarial support to the Committee.

K. K. JASWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997